

**जिला न्यायाधीश महोदय,**

**पीलीभीत।**

महोदय,

साहब! जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश सं०-102/2020 दिनांक 05-05-2020 एम उस पर आपके पुर्णोक्त दिनांक 06-05-2020 जिसके द्वारा जनपद न्यायाधीश, महोदय ने माननीय न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग चेकअप कराये जाने एवं दिनांक 07-05-2020 को साँय 06:00 बजे तक माननीय न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन का कार्य सम्पादित कराने तथा उक्त कार्य प्रतिदिन सम्पादित कराये जाने तथा दिनांक 08-05-2020 से प्रत्येक दिन साँय 04:00 बजे जनपद पीलीभीत में कोरोना के खतरे एवं स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के क्रम में आख्या निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है:-

कोरोना-19 से सम्बन्धित आख्या													
माननीय न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के थर्मल स्कैनिंग की संख्या	माननीय न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ-सफाई सेनेटाइजेशन का कार्य	जनपद पीलीभीत में अब तक कुल कितने कोविड-19 के सैम्पल हुये	कुल कोरोना पॉजीटिव की संख्या	कोविड-19 के सक्रिय केस	कोविड-19 के रिकवर्ड केस	Deaths	कुल कोरोना निगेटिव की संख्या	कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट आना शेष है।	जनपद में आये विदेशी यात्रियों की संख्या	विदेश से आये व्यक्तियों की संख्या जो ट्रेस नहीं हो सके।	अन्य राज्यों एवं प्रदेश के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें होन कोरेन्टाइन किया गया है	विभागीय कोरोना इन की संख्या	जनपद में कुल कंटेनमेंट जोन क्षेत्र की संख्या
196	Yes	77748	2761	496	2226	39	74335	652	724	06	00	00	302

नोट- कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में 302 क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया बनाये गये हैं। जनपद न्यायालय परिसर पीलीभीत तथा न्यायालय बीसलपुर परिसर कंटेनमेंट जोन में नहीं है।

2-दिनांक 03-09-2020 को निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया तथा दिनांक 05-09-2020 को कोरोना परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के कर्मचारी श्री रिशु शुक्ला (क्लर्क) निवासी मो० सुनगढी गौंधी स्टेडियम रोड पीलीभीत कोरोना पॉजीटिव पाये गये। उक्त कर्मचारी दीवानी न्यायालय में कार्यरत है अतः शासनादेश के अनुसार उनके निवास को केंद्र मानते हुये 100 मीटर के क्षेत्र को दिनांक 06-09-2020 से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन कार्य करने की संस्तुति की जाती है।

शासनादेश संख्या 1324/सेक-पाँच-5-2020 दिनांक 23 जून 2020 के अनुसार अन्तिम घनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। यदि अन्तिम घनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों उपरान्त तक कोई अन्य केस उक्त क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा। अतः उक्त कंटेनमेंट जोन दिनांक 21-09-2020 को विमुक्त कर दिया जायेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक  
पीलीभीत।

पत्रांक संख्या- मु०चि०अ०/को०वाय-2019/दैनिक सूचना/2020-21/  
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1-जिला अधिकारी महोदय, पीलीभीत।

अपर जिला अधिकारी (वि०/रा०)  
पीलीभीत।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
पीलीभीत।  
तददिनांक

*Seen. Action required in para-2 regarding being an employee of Govt. officials. Extensive sanitization has already been done, no further action is required.*

Wm in (Gm)  
9/9/2020  
District Justice  
Pilibhit

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
पीलीभीत।